(भारत के राजपत्र के भाग I खंड - I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 12 जनवरी, 2010

विषय : यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी 2010 से बढ़ाया जाना ।

सं. 1/61/2004-निर्यात-1(2): दिनांक 09 नवम्बर 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा सरकार ने यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन आरंभिक तौर पर 01 जनवरी 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय लिया था और बाद में इन प्रावधानों को दिनांक 31 दिसम्बर 2009 तक बढ़ा दिया गया था।

2. सरकार ने यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन अब 01 जनवरी 2010 से एक साल की अवधि के लिए और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 9 नवम्बर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

(ज.प्र.दत्त)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद, हरियाणा